न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला- भरतपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना RAS

प्रकरण क्र. 6/2015

विषय. प्रार्थना पत्र- आदेश 9 नियम 4
एवं आदेश 17 नियम-2 व 151 जा.दी.-

निर्णय- दिनांक - 16/3/2020

(1) जगदीश पुत्र मूलचन्द जाति- जाट- निवासी कौनीजा
तहसील नदबई जिला- भरतपुर — प्रार्थी

बनाम-

(1) तेजा पुत्र करन
(2) सूरजमल पुत्र भँवर
(3) रामस्वरूप पुत्र कुन्दनी
(4) करन पुत्र जोधा (मृतक)
(5) बलबीर पुत्र श्रीचंद
(6) विजेन्द्र पुत्र श्रीचंद
(7) भीमसिंह पुत्र जोधा
(8) मेगा पुत्र जोधा
(9) मिथलेश पुत्रि मोती

समस्त जाति- जाट- निवासी- कौनीजा- तह. नदबई जिला- भरतपुर (राज.)

- अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता -
श्री मुकेश कुमार शुक्ला अधि. प्रार्थी-
श्री लाखन सिंह - अधि. - अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

निर्णय

(1) यह है कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में कोई भी पक्ष आवश्यक नहीं है - कार्यवाही के लिए सक्षम है.

(2) यह है कि अप्रार्थीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 188 RTA विवादित आराजी खसरा नं. 305 रकबा 0.27, 307 रकबा 0.16, 306 रकबा 0.21, 311 रकबा 0.18 कुल किता 4 कुल रकबा 0.82 वाके ग्राम कोनीया में स्थित होना बतलाते हुए प्रार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया था उक्त वाद के साथ अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी पेश किया था जिस पर दिनांक 14.7.11 को अदालत द्वारा यह आदेश दिया कि अप्रार्थीगण को टी. आई. मौके की किस प्रकार की - कार्यवाही हो कि पटवारी द्वारा डिक्री की पालना में जो सीमाज्ञान कराया गया है अप्रार्थीगण इस भूमि से और अधिक आगे जाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल न करे न ही प्रार्थी आगामी दिनांक तक पटवारी द्वारा डिक्री की पालना में कराये गये सीमाज्ञान का उल्लंघन करें.

(3) यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 3.8.11 को प्रार्थी के कब्जे की सीमाज्ञान की पुरानी को उखाड़ दिए पाने एवं डोलमेड को तोड़ कर रास्ते को अपने कब्जे में मिला लिया मौके की स्थिति को बदल दिया.

(4) यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके की स्थिति को बदलने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 क. जा.दी. पेश किया जो दिनांक 5.12.14 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में अदालत श्रीमान द्वारा खारिज दफ्तर किया गया है.

(5) यह है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अदालत में हाजिर होने के कारण पश्चात जवाब पेश किया गया था एवं प्रकरण में साक्ष्य भी प्रारम्भ हो चुकी थी दिनांक 9.7.13 को प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा दिनांक 23.9.13 को अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी से जिरह की जाकर प्रकरण अन्य साक्ष्य पेश करने को नियुक्त-कर दिया गया। प्रार्थी उक्त प्रकरण मे प्रारम्भ से ही पैरवी करता चला आ रहा है। दिनांक- 23-9-13 के बाद 2 तारीख पेशियों पर अदालत रिक्त होने पर भी एवं 2 तारीख पेशियों पर बार द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है।- दिनांक- 26-11-13 को प्रार्थी को साक्ष्य का अंतिम अवसर देकर दि. 5-12-14 को उक्त प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया था -

6) यह कि- उक्त प्रकरण मे वकील साहब द्वारा सायल को यह कह दिया था आपके ब्यान अदालत मे हो चुके है- अन्य गवाह के लिए जब भी आवश्यकता होगी मे उपस्थित कर दूंगा। वकील साहब के पास आये तो सायल ने बताया- आपका मुकदमा दिनांक- 5-12-14 को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया- गया है- इससे स्पष्ट है कि- गैर सायलान- व गैर सायलान की उपस्थिति- के संबंध मे कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है.

7) यह कि- प्रकरण मे सायल की साक्ष्य हो चुकी है इसलिए- उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फैसला करना चाहिए था- अतः मूल नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय कराये जाने का अधिकार है -

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दी.नं. 108/11 उनवानी जगदीश बनाम - तेजी - को मूल नम्बर पर लिया जावे -

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जरिये तलब किये गये। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 9 की ओर से श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये. तथा इनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे शामिल मिसल है

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

(1) यह है कि – प्रा.पत्र की चरण सं. 1 कानूनी व जाबिल गौर असत्य है।

(2) यह है कि – प्रा.पत्र की चरण सं. 2 के मुताबिक ख.न. 305, 307, 307, 311 कुल किता 4 रकबा 4.82 वाके ग्राम सोनीजा में स्थित होने व प्रार्थी के विरुद्ध दावा पेश किया जाना स्वीकार है। शेष गलत है।

(3) यह है कि – अप्रार्थी ने प्रार्थी की कोई तोड़ फोड़ नहीं की ना ही कुछ उखाड़ी थी। तथा ना ही दिनांक – 31.8.11 को कोई गलत कार्य किया।

(4) यह है कि – कोई गलत कार्य नहीं करने के कारण मौके की रिपोर्ट नहीं बदली – प्रा.पत्र 039 R2 ए.C.P.C. गलत तथ्यों के साथ पेश किया था। उक्त प्रा.पत्र को दिनांक – 5.12.14 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में होना स्वीकार है।

(5) यह है कि – प्रा.पत्र की चरण सं. 5 के अनुसार मुताबिक अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश करने व प्रार्थी द्वारा 9/7/13 को शपथ पत्र पेश करना व दिनांक – 23/9/13 को अप्रार्थी के वकील द्वारा उससे जिरह करना स्वीकार है शेष कथन गलत है। दिनांक – 26.11.13 को प्रार्थी को साक्ष्य के लिए अंतिम मौका दिया गया, परन्तु वह जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ व दिनांक 5.12.14 को प्रार्थी व उसके वकील अदालत श्रीमान में जानबूझकर हाजिर न होने पर उक्त उनवानी प्रा.पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में सही तरीके से खारिज किया गया था। प्रार्थी ने कोई भी अन्य शपथ पत्र पेश नहीं किया।

अतः अपील प्रा.पत्र – प्रार्थी खारिज किया जावे।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस प्रा.पत्र – अन्तर्गत आदेश 9 नियम – 4 व आदेश 17 नियम 2 व धारा 151 जा.दी. के तहत सुनी गयी – प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। तथा हमने मूल पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि –

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को प्रा.पत्र 039 र 2 मे साक्ष्य हेतु दिनांक 8/3/13 को प्रथम पेशी दी गयी एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 5/12/14 को अदम-हाजरी मे लगभग साक्ष्य मे दो महीने लम्बित रहने के बाद खारिज हुआ इस दौरान लगभग 15 तारीख पेशी दी गयी अर्थात प्रार्थी द्वारा रुचि लेकर प्रार्थना पत्र मे पैरवी नही की गयी प्रार्थना पत्र खारिज होने से 6 माह तक पत्रावली के खारिज होने की जानकारी नही होने का कारण भी नही बताया गया है अवलम्ब प्रार्थना पत्र आदेश नियम-2 एक आंशिक सुनवाई निस्तारित किये जाने वाला प्रार्थना पत्र होता है जो लगभग 4 साल लम्बित रहने के बाद अदम हाजरी व प्रथम पैरवी मे खारिज किया गया है-उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की प्रभावी पैरवी नही की एवं अपनी अनुपस्थिति का सन्तोषप्रद कारण भी नही बताया गया है-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं आदेश 17 नियम 2 व धारा 151 जा.दी. के तहत खारिज किया जाता है-

निर्णय- आज दिनांक 16/3/2020 को खुले न्यायालय मे लिखा जाकर सुनाया गया है- निर्णय शामिल पत्रावली हो पत्रा. फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी-
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner